दस रुपये TEN RUPEES INDIA दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक :– III/ निग. /सतना/ भू.रा. / 2017 / ....

PBR/निगरानी/गुना/भू.रा./2017/4776

गोपाल पुत्र भगवान सिंह आयु 45 वर्ष निवासी रामनगर तहसील राघौगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश —आवेदक

बनाम

मनोज पुत्र गोरधन उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम मीरपुर तहसील राघौगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश —अनावेदक

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 16/11/2017 न्यायालय तहसीलदार परगना राघौगढ़ जिला गुना प्रकरण क्रमांक 11/2017–18/अ–12 सीमांकन।

महोदय,

प्रार्थी की ओर से निगरानी प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :–

1– यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक मनोज पुत्र गोरधन माली द्वारा विचारण न्यायालय तहसीलदार राघौगढ जिला गुना के समक्ष सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। अनावेदक के आवेदन पर से बालाबाला सीमांकन रिपोर्ट पंचनामा तैयार कर सीमांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जबकि मौके

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–पीबीआर/निगरानी/गुना/भू.रा./2017/4776

गोपाल सिंह विरूद्ध मनोज

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
02–05–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री अशोक भार्गव अभिभाषक उपस्थित । 3. यह निगरानी तहसीलदार परगना राघौगढ़, जिला–गुना के प्रकरण क्रमांक 11/2017–18/अ–12 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 16–11–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी राघौगढ़, जिला–गुना को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 11–06–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) सदस्य	